रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231103 CG-DL-E-13112021-231103

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] No. 644] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 793(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, "पे बैंड और ग्रेड वेतन" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची- I के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

6559 GI/2021 (1)

"अनुसूची I"

(नियम 2(iii), 3(3), 4(1) और 7(1) देखें)

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) की विभिन्न श्रेणियों में शामिल कर्तव्य पदों की श्रेणी, नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या*	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रेणी ।	18	समूह 'क' राजपत्रित	स्तर-13
	(निदेशक)			(হ.123100-215900)
2.	श्रेणी ॥	36	समूह 'क' राजपत्रित	स्तर-12
	(संयुक्त निदेशक)			(₹.78800-209200
3.	श्रेणी III	84	समूह 'क' राजपत्रित	स्तर-11
	(उप निदेशक)			(₹.67700-208700)
4.	श्रेणी IV	205	समूह 'क' राजपत्रित	स्तर-10
	(सहायक निदेशक)			(रु.56100-177500)
5.	श्रेणी V	317	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-7
	(वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी)			(रु.44900-142400)
6.	श्रेणी VI	352	समूह 'ख' अराजपत्रित	स्तर-6
	(कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी)			(হ.35400-112400)

^{*} कार्य की अधिकता पर निर्भर करते हुए पदों में कमी-बेसी के अधीन।"

4. उक्त नियमों में, अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"अनुसूची -II"

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) पदों और सेवा में भाग लेने वाले उन मंत्रालयों या विभागों और संबद्ध कार्यालयों के नाम, जिनमें यह पद विद्यमान हैं, दर्शित करने वाला विवरण।

क्र.	कार्यालयों के नाम	निदेशक	संयुक्त	उप	सहायक	वरिष्ठ	कनिष्ठ
सं.			निदेशक	निदेशक	निदेशक	अनुवाद	अनुवाद
						अधिकारी	अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1. कृषि औ _र	र किसान क	ल्याण मंत्र	ालय			
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1	-	2	4	5	8
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	-	-	-	1	1	-
3	कृषि लागत और मूल्य आयोग	-	-	-	1	1	-
4	अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-	1	1	2
5	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद	-	-	1	1	1	1

6	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नागपुर	-	-	-	1	1	1					
7	पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद	-	-	1	1	1	1					
	2. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय											
8	पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	-	-	1	1	1	3					
	3. आयुष मंत्रालय											
9	आयुष मंत्रालय	-	1	-	1	1	1					
	4. रसाय	न और उर्व	रक मंत्राल	य								
10	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	-	1	-	1	2	1					
11	उर्वरक विभाग	-	-	2	2	3	1					
12	उर्वरक उद्योग सह-समन्वय समिति	-	-	-	-	1	-					
13	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	-	-	1	2	2	3					
14	राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण फार्मास्यूटिकल्स प्राधिकरण	-	-	-	-	1	-					
5. नागर विमानन मंत्रालय												
15	नागर विमानन मंत्रालय	1	-	1	2	2	2					
16	नागर विमानन महानिदेशालय	-	1	-	3	3	1					
17	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	-	-	-	1	1	2					
	6.	कोयला मं	त्रालय									
18	कोयला मंत्रालय	-	1	-	1	2	1					
	7. वाणि	ज्य और उह	प्रोग मंत्राल	य								
19	वाणिज्य विभाग	1	-	2	2	3	5					
20	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	-	1	-	2	4	5					
21	विदेश व्यापार महानिदेशालय	-	-	1	2	5	2					
22	नमक आयुक्त जयपुर	-	-	-	-	2	-					
23	टैरिफ आयोग	-	-	1	1	1	1					
24	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	-	-	-	-	-	1					
	8	. संचार मंत्र	शालय									
25	दूरसंचार विभाग	1	-	2	2	10	6					
26	डाक विभाग	1	-	2	2	5	3					
	9. उपभोक्ता मामले, ख	ाद्य और स	ार्वजनिक <u>ि</u>	वेतरण मंत्र	ालय							
27	उपभोक्ता मामले विभाग	-	1	-	1	3	1					
28	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	-	-	2	2	2	3					

29	शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय	-	-	-	1	-	1					
	10. कारपोरेट कार्य मंत्रालय											
30	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	-	1	-	2	1	3					
31	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय	-	-	-	-	-	1					
32	संस्कृति मंत्रालय	1	-	2	2	3	1					
33	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	-	1	-	1	2	-					
34	राष्ट्रीय अभिलेखागार	-	-	-	1	1	-					
	1	2. रक्षा मंद	त्रालय	l	l	1						
35	रक्षा मंत्रालय (मुख्यालय)	1	-	3	4	9	7					
36	रक्षा उत्पादन विभाग	-	1	-	1	1	2					
	13. पूर्वी	तर क्षेत्र वि	कास मंत्राल	ाय	l	1						
37	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	-	-	1	1	1	1					
14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय												
38	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	-	1	-	1	2	1					
15. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय												
39	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	1	-	2	2	2	4					
40	राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिक विकास बोर्ड	-	-	-	-	1	2					
41	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	-	-	-	1	1	1					
	16	6. विदेश मं	न्नालय त्रालय									
42	विदेश मंत्रालय	-	-	2	4	7	2					
	1	। 7. वित्त मं _ं	। त्रालय									
43	आर्थिक कार्य विभाग	1	-	2	5	7	5					
44	वित्तीय सेवाएं विभाग	-	1	-	2	3	5					
45	व्यय विभाग	-	-	1	3	5	3					
46	राजस्व विभाग	1	_	2	4	11	5					
47	विनिवेश विभाग	-	-	-	1	1	1					
48	प्रवर्तन निदेशालय	-	-	-	1	1	-					
	। 18. खाद्य	<u>।</u> प्रसंस्करण	। उद्योग मंत्र	। ालय	<u> </u>							
49	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	-	_	1	1	1	1					

	19. स्वास्थ्य ३	गौर परिवा	र कल्याण ग	मंत्रालय							
50	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	1	-	3	3	6	4				
51	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	-	1	-	1	3	2				
52	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	-	-	-	-	-	1				
20. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय											
53	भारी उद्योग विभाग	-	-	1	1	2	2				
54	लोक उद्यम विभाग	-	-	1	1	2	1				
21. गृह मंत्रालय											
55	गृह मंत्रालय	1	-	2	6	12	5				
56	राजभाषा विभाग	1	-	2	4	3	1				
57	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	-	-	1	1	2	1				
58	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय	-	-	1	1	1	3				
59	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	-	-	-	1	1	1				
60	भारत के महापंजीयक का कार्यालय	-	1	-	2	4	1				
61	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	-	-	-	1	1	-				
62	आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली	-	-	-	1	4	26				
63	सहायक आसूचना ब्यूरो, पटना, बिहार	-	-	-	1	1	-				
64	सहायक खुफिया ब्यूरो, हैदराबाद	-	-	-	-	1	1				
65	सहायक खुफिया ब्यूरो, त्रिवेंद्रम, केरल	-	-	-	-	1	1				
66	राष्ट्रीय जांच एजेंसी	-	-	-	-	-	1				
	22	2. शिक्षा मं	त्रालय	•	•						
67	उच्च शिक्षा विभाग	1	-	2	4	7	9				
	23. सूचन	ग और प्रस	ारण मंत्राल	ाय	•						
68	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1	-	1	2	2	2				
69	महानिदेशालय, आल इंडिया रेडियो	-	1	-	1	2	2				
70	दूरदर्शन महानिदेशालय	-	1	-	1	2	2				
71	प्रकाशन विभाग	-	-	1	1	2	2				
72	आउटरीच और संचार ब्यूरो	-	-	1	1	2	4				
73	प्रेस सूचना ब्यूरो	-	-	1	2	2	2				
74	भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय	-	-	-	1	1	1				
75	फिल्म फेस्टिवल निदेशालय	-	-	-	-	-	1				
	24.	जल शक्ति	मंत्रालय								
76	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	1	-	1	2	2	2				

	विभाग											
77	पेयजल और स्वच्छता विभाग	-	-	-	1	2	1					
78	केंद्रीय जल आयोग	-	-	1	1	4	3					
79	केंद्रीय मिट्टी और सामग्री अनुसंधान स्टेशन	-	-	-	1	1	-					
	25. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय											
80	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	-	1	-	2	3	5					
81	रोजगार महानिदेशालय	-	-	-	1	1	1					
82	मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय	-	-	1	1	1	1					
83	श्रम ब्यूरो, शिमला	-	-	-	1	1	1					
84	श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़	-	-	-	-	-	1					
85	महानिदेशालय, कारखाना सलाह एवं श्रम सेवा संस्थान, मुंबई	-	-	-	1	1	-					
26. विधि एवं न्याय मंत्रालय												
86	विधायी विभाग	-	1	-	2	1	2					
87	विधि कार्य विभाग	-	-	2	2	2	4					
88	न्याय विभाग	-	-	-	1	-	1					
89	खंडपीठ सचिवालय, विधायी कार्य, कोलकाता	-	-	-	-	-	1					
27. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय												
90	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	-	1	-	1	2	2					
91	विकास आयुक्त, एमएसएमई का कार्यालय	-	-	-	1	4	2					
	28	8. खान मंः	त्रालय	L								
92	खान मंत्रालय	-	1	-	1	1	3					
	29. अल	पसंख्यक क	गर्य मंत्रालय	प		l						
93	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	-	1	-	1	1	3					
94	भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, इलाहाबाद	-	-	-	-	1	-					
	30. नवीन एव	वं नवीकरण	ीय ऊर्जा म	त्रालय		1						
95	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	-	-	1	1	2	2					
	31. पं	चायती रा	ज मंत्रालय	•								
96	पंचायती राज मंत्रालय	-	-	1	1	1	2					
	32. कार्मिक, लो	क शिकाय	त एवं पेंशन	ा मंत्रालय								
97	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	-	1	1	2	3	6					
98	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	-	-	1	1	1	1					
-												

99	पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग	-	-	-	1	1	1		
100	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान	-	-	1	1	1	1		
101	कर्मचारी चयन आयोग	-	-	1	1	2	1		
102	कर्मचारी चयन आयोग, चेन्नई	-	-	-	-	-	1		
103	कर्मचारी चयन आयोग, कोलकाता	-	-	-	-	-	1		
104	कर्मचारी चयन आयोग, बेंगलूरु	-	-	-	-	-	1		
105	कर्मचारी चयन आयोग, मुम्बई	-	-	-	-	-	1		
106	कर्मचारी चयन आयोग, इलाहबाद	-	-	-	-	-	1		
107	कर्मचारी चयन आयोग, गुवाहाटी	-	-	-	-	-	1		
108	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मुख्यालय), नई दिल्ली	-	-	1	2	4	17		
109	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार रोधी शाखा, मुम्बई	-	-	-	-	-	2		
110	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लखनऊ	-	-	-	1	1	-		
111	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड	-	-	-	1	1	1		
33. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय									
112	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	-	1	1	2	2	2		
34. विद्युत मंत्रालय									
113	विद्युत मंत्रालय	-	1	-	2	2	3		
114	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	-	-	1	1	2	2		
	3 5. सड़क परि	रेवहन एवं	राजमार्ग मं	त्रालय					
115	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	-	-	2	2	2	3		
	36. ग्रा	मीण विका	स मंत्रालय						
116	ग्रामीण विकास विभाग	-	1	-	3	4	3		
117	भूमि संसाधन विभाग	-	-	1	1	1	2		
	37. विज्ञान	एवं प्रौद्यो	गिकी मंत्रा	लय					
118	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	1	-	1	2	2		
119	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	-	-	1	1	2	-		
120	बायोटेक्नालॉजी विभाग	-	-	1	1	1	2		
	38. बंदरगाह, पोत	न परिवहन	एवं जलमा	र्ग मंत्रालय					
121	नौवहन मंत्रालय	-	1	-	1	2	1		
122	नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई		1	-	2	1	4		
	39. कौशल वि	कास और	<u></u> उद्यमिता म	<u></u> ांत्रालय					

123	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	-	-	-	1	-	1			
124	प्रशिक्षण महानिदेशालय	-	-	1	-	1	2			
	40. सामाजिक न	याय एवं ३	गधिकारिता	मंत्रालय		I	1			
125	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	-	1	-	2	3	2			
126	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	-	-	1	1	1	2			
127	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	-	-		1	1	-			
	41. सांख्यिकी ए	वं कार्यक्रम	कार्यान्वयन	न मंत्रालय						
128	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	-	-	2	3	6	5			
129	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता	ı	-	ı	1	1	-			
130	कम्प्यूटर केन्द्र	ı	-	ı	1	1	-			
	42	. इस्पात मं	त्रालय							
131	इस्पात मंत्रालय	ı	1	-	1	2	2			
43. वस्त्र मंत्रालय										
132	वस्त्र मंत्रालय	-	1	-	1	2	2			
133	हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय	-	-	-	1	1	7			
134	हस्तशिल्प विकास आयुक्त का कार्यालय	-	-	1	1	1	2			
	44	. पर्यटन मं	त्रालय							
135	पर्यटन मंत्रालय	-	1	-	1	2	2			
	45. जन्	ाजातीय क	ार्य मंत्रालय	Г						
136	जनजातीय कार्य मंत्रालय	-	1	-	1	1	2			
137	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	-	-	-	1	1	2			
	46. आवास	न एवं शहर	ी कार्य मंत्र	ालय						
138	शहरी विकास मंत्रालय	1	-	2	2	2	5			
139	भूमि एवं विकास संगठन	-	-	-	1	1	-			
140	महानिदेशालय, के.लो.नि.वि., नई दिल्ली	-	1	-	5	2	14			
141	के.लो.नि.वि., आर.के. पुरम, नई दिल्ली	-	-	-	-	1	-			
142	के.लो.नि.वि., प्रशिक्षण, संस्थान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	-	-	-	1	1	-			
143	के.लो.नि.वि., अहमदाबाद, गुजरात	-	-	-	-	1	-			
144	मुख्य अभियंता (डब्ल्यू जेड-1), के.लो.नि.वि., मुम्बई	-	-	-	-	1	-			
145	कार्यकारी अभियंता, के.लो.नि.वि.,	-	-	-	-	1	-			
<u> </u>		<u> </u>	1	i	<u> </u>	<u> </u>	1			

						,	•				
	लखनऊ, उत्तर प्रदेश										
146	मुख्य अभियंता, के.लो.नि.वि., कोलकाता	-	-	-	1	1	-				
147	संपदा निदेशालय	-	-	1	1	2	2				
148	मुद्रण निदेशालय	-	-	-	1	1	1				
149	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	-	-	-	-	1	1				
	47. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय										
150	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	1	-	2	2	2				
	48. युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय										
151	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	-	-	1	1	2	2				
49. अन्य कार्यालय											
152	मंत्रिमंडल सचिवालय	-	-	1	1	2	2				
153	प्रधानमंत्री कार्यालय	-	1	-	1	4	3				
154	भारत का निर्वाचन आयोग	-	-	1	2	4	5				
155	संघ लोक सेवा आयोग	1	-	2	4	5	4				
156	नीति आयोग	-	1	-	2	4	2				
157	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	-	-	-	-	-	1				
158	संसदीय कार्य मंत्रालय	-	-	-	-	-	1				
159	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	-	-	-	1	-	2				
कुल		18	36	84	205	317	352				
					कुल	योग: 1012					

5. अनुसूची-3 के लिए, उक्त नियमों में, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची ॥। [नियम 7(2) देखें]

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, पदोन्नति का आधार, प्रतिनियुक्ति के लिए चयन के क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पद का नाम/ श्रेणी	भर्ती की पद्धति	क्या पद चयन अथवा गैर-चयन पद है	चयन का आधार और पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा	प्रतिनियुक्ति के लिए चयन का आधार
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रेणी-I निदेशक	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति	चयन	प्रोन्नति: संयुक्त निदेशक (रा.भा.) जिसने मूल संवर्ग अथवा	प्रतिनियुक्तिः

		द्वारा		विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12(78800 रु	केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-
				209200 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजभाषा के सभी पहलुओं पर छह सप्ताह का अनिवार्य	(क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा
				संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।	(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800 – 209200 ₹) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
					(ख) जिनके पास सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विहित शैक्षणिक अर्हताएं हों।
					और
					जिसके पास केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा
					स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों
					अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त
					अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों के
					अधीन हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग का अनुप्रयोग तथा
					अंग्रेजी से हिंदी एवं विलोमत: अनुवाद
					का कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, अथवा
					जेद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार
					अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्वायत्त
					निकायों अथवा कानूनी संगठनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा
					विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त
					अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण अथवा हिंदी
					अथवा अंग्रेजी में शोध का दस वर्ष का अनुभव हो।
2.	श्रेणी-II संयुक्त	प्रोन्नति द्वारा	चयन	प्रोन्नति:	लागू नहीं होता।
	निदेशक			उप निदेशक जिसने मूल	
				संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11	
				(67700-208700 रु.) में	
				पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजभाषा के	
				सभी पहलुओं पर छह सप्ताह	
				का अनिवार्य संस्थागत	

				प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।	
3.	श्रेणी-III उप निदेशक	प्रोन्नित द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है)	चयन	प्रोन्नितः सहायक निदेशक जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजभाषा के सभी पहलुओं पर छह सप्ताह का अनिवार्य संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त संस्थानों अथवा कानूनी संगठनों अथवा पिळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों के ऐसे अधिकारी— (क)(i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 ₹) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के पांचवी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विहित शैक्षणिक योग्यताएं हों। और जिसके पास केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों अथवा पिळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली संबंधी कार्य) प्रयोग का अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी एवं विलोमतः अनुवाद का पांच वर्षों का अनुभव हो अथवा हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन का पांच वर्षे का अनुभव हो अथवा किंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन का पांच वर्षे का अनुभव हो अथवा किंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों अथवा स्वर्थ सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों अथवा पिळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा पिळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा पिळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा पाळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा पाळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा मान्यता पाळ्लक सेक्टर उपक्रमों अथवा पाळलक सेक्टर अथवा पाळलक सेक्टर अथवा पाळलक सेक्टर अथवा माल्यता पाळलक सेक्टर अ

किसी और अंग्रेजी के शिक्षण अपवा हिंदी अवा अंग्रेजी में अनुसंधान का गांच वर्ष अवा अंग्रेजी में अनुसंधान का गांच वर्ष का अनुमद हो। 4. थेणी IV सहायकनिदेशक होरा विषय हिंदी अपवा अधिकारी विषय में से से किसी में अनुसंद अधिकारी विषय में से किसी में अनि में के बेतन में प्रिक्षण में पर छह सप्ताह का अनिवर्ष मंस्थानत आधिकण सफलतापुर्वक पूरा किया हो, जैगा भी गश्म प्राधिकारी हारा विभिन्न परिक्षण में स्थान का प्राचा का						
महायकनिदेशक 25% सीधी भर्ती द्वारा 25% सीधी भर्ती त्वारा 25% सीधी भर्ती सीधी भर्ती सेवाम भर्म पहला भर्म पहला भर्म पहला भर्म पहला भर्म स्वार्ति भर्म भर्म स्वार्म स्वार्म हो भर्म भर्म स्वार्म स्वार्म हो भर्म स्वार्म सेवाम सेवाम सेवाम सेवाम स्वार्म						अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान में हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव हो।
वार अनुवाद आध्यार विभाग में श्रेणी में वेतन मेंद्रिक्स में स्तर-८ (44900-142400 र) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजभाषा के सभी पहनुओं पर छह सप्ताह का अनिवार संस्थापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जैसा भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएसा। सीधी भर्ती : (क) इस पद के लिए अभ्यावियों का चयन इस नियमावर्ली की अनुसूर्ण-८ में यथा विनिर्धिट पद्धित से अयोग द्वारा आयोजित परीक्षा योजना के अनुसार तथा संव लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञापनों के अनुसार तथा संव लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विश्वाप परीक्षा तथा उसके पश्चाद साधात्कार द्वारा अयोजित विश्वाप परीक्षा तथा उसके पश्चाद साधात्कार द्वारा किया निर्देष्ट निर्धारित श्रीक्षक योगया आएसा। (ख) सहायक निर्देशक के पर के लिए सीधी भर्ती हेतु अनुसूर्च-८ में यथा निर्दिष्ट निर्धारित श्रीक्षक योगया और अनुभव होना चाहिए। 5. श्रेणी-V योन्नित द्वारा चयन प्रोन्तित अधिक योगया और अनुभव होना चाहिए। वरिष्ट अनुवाद अधिकारी विमने मूल संवर्ग अथवा विमान में श्रीम में वेतन मेंहकूम में स्वर-६ (35400-112400 १) में पांच वर्ष की	4.	श्रेणी IV	75% प्रोन्नति	चयन	प्रोन्नति:	लागू नहीं होता।
संस्थागत प्रशिक्षण सफतापूर्वक पूरा किया हो, जैसा भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्यारित किया जाएगा। सीधी भतीं : (क) इस पद के लिए अभ्यार्थियों का चयन इस नियमावली की अनुसूर्वी-V में यथा विनिर्दिष्ट गद्धति से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा योजना के अनुसार तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञापनों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके पश्चात साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। (ख) सहायक निर्देशक के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अनुसूर्ची-V में यथा निर्दिष्ट निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। 5. श्रेणी-V वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में श्रेणी में वेतन मेंद्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 ₹) में पांच वर्ष की		सहायकनिदेशक	25% सीधी		जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400 ₹) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और	
(क) इस पद के लिए अभ्यार्थियों का चयन इस नियमावली की अनुसूची-∨ में यथा विनिर्दिष्ट पद्धित से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा योजना के अनुसार तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञापनों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके पश्चात् साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। (ख) सहायक निदेशक के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अनुसूची-∨ में यथा निर्दिष्ट निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। 5. श्रेणी-V वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 ₹) में पांच वर्ष की					संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जैसा भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया	
अभ्यार्थियों का चयन इस नियमावली की अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट पद्धित से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा योजना के अनुसार तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञापनों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके पश्चात् साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। (ख) सहायक निदेशक के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अनुसूची-V में यथा निर्दिष्ट निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। 5. श्रेणी-V विरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 ₹) में पांच वर्ष की					सीधी भर्ती :	
और अनुभव होना चाहिए। 5. श्रेणी-V प्रोन्नित द्वारा चयन प्रोन्निति : लागू नहीं होता। विरुष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 ₹) में पांच वर्ष की					अभ्यार्थियों का चयन इस नियमावली की अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट पद्धित से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा योजना के अनुसार तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विज्ञापनों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके पश्चात् साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। (ख) सहायक निदेशक के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अनुसूची-V में यथा निर्दिष्ट	
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 ₹) में पांच वर्ष की					और अनुभव होना चाहिए।	
मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 ₹) में पांच वर्ष की	5.	वरिष्ठ अनुवाद	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा	लागू नहीं होता।
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।					मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-	

				राजभाषा के सभी पहलुओं पर छह सप्ताह का अनिवार्य संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जैसा भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।	
6.	श्रेणी-VI कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	िटप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जा सकेगी; (क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृशपद धारित किए हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-5	होता	लागू नहीं होता	लाग् नहीं होता

		[
(2)	29200-	
92	2300 रु.) में	
या	ा समतुल्य	
	तनमान में	
	नेयमित	
	ाधार पर उस	
	द पर नियुक्ति	
	पश्चात् उस	
श्रेर	णी में छह	
	र्ष की सेवा	
	ने हो;	
औ	रि	
(ख	ब) सीधी	
	, पर्ती के लिए	
	तेए अनुसूची	
VI	'II में यथा	
	 नेर्दिष्ट सीधी	
	र्ती के लिए	
	वेहित	
	भणिक 	
	ोग्यता रखता	
हो		
हा	11	

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, जैसा कि मामला हो, साधारणतया 4 या 5 वर्ष से अधिक नही होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

6. उक्त नियमों में अनुसूची-V के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"अनुसूची ∨ [नियम 7(4) देखें]

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' पदों) की श्रेणी-IV (सहायक निदेशक) में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं, अनुभव तथा आयु-सीमा। (क) आयु-सीमा: 35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।

(ख) शैक्षिणक अर्हताएं एवं अनुभव:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकिल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकिल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री;

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने/अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य करने का 3 वर्ष जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान्यता दी जाएगी।

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी या अंग्रेजी में अध्यापन या अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है"।

7. उक्त नियमों में अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"अनुसूची VI

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' एवं समूह 'ख' पदों) की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रेणी ।	स्तर-13	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
	(निदेशक)	(123100-215900 रु.)	नहीं है।
2.	श्रेणी II	स्तर -12	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
	(संयुक्त निदेशक)	(78800-209200 रु.)	नहीं है।
3.	श्रेणी III	स्तर -11	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
	(उप निदेशक)	(67700-208700 रु.)	है, जब पद पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) या सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाना हो।
4.	श्रेणी IV	स्तर -10	भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक
	(सहायक निदेशक)	(56100-177500 रु.)	अवसर पर परामर्श करना आवश्यक है।
5.	श्रेणी V	स्तर -7	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
	(वरिष्ठ अनुवाद	(44900-142400 रु.)	नहीं है।
	अधिकारी)		
6.	श्रेणी VI	स्तर -6	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
	(कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी)	(35400-112400 रु.)	नहीं है।

8. उक्त नियमों की अनुसूची-VII में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची VI

[नियम 7(4) देखें]

- "(ख) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव:
- (क) अनिवार्य (I) शैक्षणिक अर्हताएं:
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री:

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तथा एक अनिवार्य या वैकिल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकिल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री:

और

(ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है"।

[फा. सं.1/1/2016-रा.भा.(सेवा)]

डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 368(अ) तारीख 1 मई, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 7 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2015, namely:-

- 1. Short title and commencement :-
- (1) These rules may be called the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 4, for the words, "pay band and grade pay" the words "Level in the Pay matrix" shall be substituted.
- 3. In the said rules, for SCHEDULE I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE I

[See rules 2(iii), 3(3), 4(1) and 7(1)]

The Grade, Name, Number, Classification and level in pay matrix of duty posts included in various grades of Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts).

S. No.	Name of Post	No. of posts*	Classification	Level in Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grade I	18	Group 'A' Gazetted	Level-13
	(Director)			(Rs.123100-215900)
2.	Grade II	36	Group 'A' Gazetted	Level-12
	(Joint Director)			(Rs. 78800-209200)
3.	Grade III	84	Group 'A' Gazetted	Level-11
	(Deputy Director)			(Rs. 67700-208700)
4.	Grade IV	205	Group 'A' Gazetted	Level-10
	(Assistant Director)			(Rs. 56100-177500)
5.	Grade V	317	Group 'B' Non-	Level-7
	(Senior Translation Officer)		Gazetted	(Rs. 44900-142400)
6.	Grade VI	352	Group 'B' Non-	Level-6
	(Junior Translation Officer)		Gazetted	(Rs. 35400-112400)

^{*} Subject to variation dependant on workload."

"SCHEDULE-II

Statement showing the break-up of the posts included in the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) and names of the Ministries or Departments and Attached Offices participating in the Service in which these posts exists.

S.	Name of Offices	Director	Joint	Deputy	Assistant	Senior	Junior
No.			Director	Director	Director	Transla- tion Officer	Translation Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	.Ministry	of Agriculture a	nd Farmers'	Welfare	1	I
1.	Department of Agriculture, Co-operation and Farmers' Welfare	1	-	2	4	5	8
2.	Department of Agricultural Research and Education	-	-	-	1	1	-
3.	Agriculture Costs and Prices Commission	-	1	-	1	1	-
4.	Directorate of Economics and Statistics	-	1	-	1	1	2
5.	Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad	-	1	1	1	1	1
6.	Directorate of Marketing and Inspection, Nagpur	-	-	-	1	1	1
7.	Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad	-	-	1	1	1	1
	2. <u>Mir</u>	istry of Fi	sheries, Animal	Husbandry a	and Dairying	•	
8.	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	-	-	1	1	1	3

^{4.} In the said rules, for SCHEDULE II, the following Schedule shall be substituted, namely:

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19

	3. <u>Mini</u>	istry of AY	USH				
9.	Ministry of AYUSH - 1		-		1	1	1
	4. Ministry	of Chemic	als and	Fertilizer	<u>s</u>	· I	
10.	Department of Chemicals and Petro-chemicals	-	1	-	1	2	1
11.	Department of Fertilizers	-	-	2	2	3	1
12.	Fertilizers Industry Co-ordination Committee	-	-	-	-	1	-
13.	Department of Pharmaceuticals	-	-	1	2	2	3
14.	National Pricing Pharmaceuticals Authority	-	-	-	-	1	-
	5 <u>.Mir</u>	nistry of C	ivil Avi	ation_		•	•
15.	Ministry of Civil Aviation.	1	-	1	2	2	2
16.	Directorate General of Civil Aviation	-	1	-	3	3	1
17.	Bureau of Civil Aviation Security	-	-	-	1	1	2
	6. <u>Mir</u>	nistry of C	<u>oal</u>		•	•	•
18.	Ministry of Coal	-	1	-	1	2	1
	7. <u>Ministry</u>	of Comm	erce an	d Industry	· •	•	
19.	Department of Commerce	1	-	2	2	3	5
20.	Department of Industrial Policy and Promotion	-	1	-	2	4	5
21.	Directorate General of Foreign Trade	-	-	1	2	5	2
22.	Salt Commissioner Jaipur	-	-	-	-	2	-
23.	Tariff Commission	-	-	1	1	1	1
24.	Office of the Economic Adviser	-	-	-	-	-	1
	8. <u>Mini</u>	stry of Co	mmuni	cation		<u> </u>	
25.	Department of Telecommunications	1	-	2	2	10	6
26.	Department of Posts	1	-	2	2	5	3
	9. <u>Ministry of Consume</u>	er Affairs,	Food a	nd Public	Distributi	on_	
27.	Department of Consumer Affairs	-	1	-	1	3	1
28.	Department of Food and Public Distribution	-	-	2	2	2	3
29.	Directorate of Sugar and Vegetable Oils	-	-	-	1	-	1
	10 <u>.Ministry (</u>	of Corpora	te Affa	<u>irs</u>		•	•
30.	Ministry of Corporate Affairs.	-	1	-	2	1	3
31.	Serious Fraud Investigation Office	-	-	-	-	-	1
	11 <u>.Mini</u>	istry of Cu	lture		_		
32.	Ministry of Culture	1	-	2	2	3	1
33.	Archaeological Survey of India.	-	1	-	1	2	-
34.	National Archives of India.	-	-	-	1	1	-
	12. <u>Mini</u>	istry of De	fence	•		•	•
35.	Ministry of Defence (Proper)	1	-	3	4	9	7
36.	Department of Defence Production.	-	1	-	1	1	2
	13. Ministry of	Developm	ent of l	 North East	tern Regio	<u> </u> <u> </u>	
37.	Ministry of Development of North Eastern Region	_	-	1	1	1	1
		1	<u> </u>				

	14. Ministry	of Earth	Science	es			
38.	Ministry of Earth Sciences	-	1	-	1	2	1
	15. Ministry of Environme	ent, Fores	ts and (Climate Cl	nange		
39.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	1	-	2	2	2	4
40.	National Afforestation and Ecological Development Board.	-	-	-	-	1	2
41.	National River Conservation Directorate	-	-	-	1	1	1
	16. Ministry	of Extern	al Affai	irs			
42.	Ministry of External Affairs	-	-	2	4	7	2
	17. <u>Mini</u> s	stry of Fi	nance	L	L		
43.	Department of Economic Affairs	1	-	2	5	7	5
44.	Department of Financial Services	-	1	-	2	3	5
45.	Department of Expenditure	-	-	1	3	5	3
46.	Department of Revenue	1	-	2	4	11	5
47.	Department of Disinvestment	-	-	-	1	1	1
48.	Enforcement Directorate	-	-	-	1	1	-
	18. Ministry of Foo	d Process	ing Ind	<u>ustries</u>		<u> </u>	
49.	Ministry of Food Processing Industries	-	-	1	1	1	1
	19. Ministry of He	alth and	Family	<u>Welfare</u>	l	<u> </u>	
50.	Department of Health and Family Welfare	1	-	3	3	6	4
51.	Directorate General of Health Services	-	1	-	1	3	2
52.	Department of Health Research	-	-	-	-	-	1
	20. Ministry of Heavy Inc	dustries a	nd Pub	lic Enterpi	rises	<u> </u>	
53.	Department of Heavy Industries	-	-	1	1	2	2
54.	Department of Public Enterprises	-	-	1	1	2	1
	21. Ministr	y of Hom	e Affair	<u>s</u>		<u> </u>	
55.	Ministry of Home Affairs	1	-	2	6	12	5
56.	Department of Official Language	1	-	2	4	3	1
57.	Narcotics Control Bureau	-	-	1	1	2	1
58.	Directorate General of Central Industrial Security Force	-	-	1	1	1	3
59.	National Crime Record Bureau	-	-	-	1	1	1
60.	Office of the Registrar General of India	-	1	-	2	4	1
61.	National Disaster Management Authority	-	-	-	1	1	-
62.	Intelligence Bureau, New Delhi	-	-	-	1	4	26
63.	Subsidiary Intelligence Bureau, Patna, Bihar	-	-	-	1	1	-
64.	Subsidiary Intelligence Bureau, Hydrabad	-	-	-	-	1	1
			_	-	_	1	1
65.	Subsidiary Intelligence Bureau, Trivandrum, Kerala	-	_	-		1	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

	22. <u>Minist</u>	ry of Edu	cation				
67.	Department of Higher Education	1	-	2	4	7	9
	23. <u>Ministry of Info</u>	mation a	nd Broa	adcasting		<u> </u>	
68.	Ministry of Information and Broadcasting	1	-	1	2	2	2
69.	Directorate General, All India Radio	-	1	-	1	2	2
70.	Directorate General of Doordarshan	-	1	-	1	2	2
71.	Publications Division	-	-	1	1	2	2
72.	Bureau of Outreach and Communication	-	-	1	1	2	4
73.	Press Information Bureau	-	-	1	2	2	2
74.	Office of the Registrar for News papers of India	-	-	-	1	1	1
75.	Directorate of Film Festivals	-	-	-	-	-	1
	24. <u>Minis</u> t	ry of Jal	Shakti	l .		L	
76.	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	1	-	1	2	2	2
77.	Department of Drinking Water and Sanitation	-	-	-	1	2	1
78.	Central Water Commission	-	-	1	1	4	3
79.	entral Soil and Materials Research Station	-	-	-	1	1	-
	25.Ministry of La	bour and	Emplo	yment			
80.	Ministry of Labour and Employment	-	1	-	2	3	5
81.	Directorate General of Employment	-	-	-	1	1	1
82.	Office of Chief Labour Commissioner	-	-	1	1	1	1
83.	Labour Bureau, Shimla	-	-	-	1	1	1
84.	Labour Bureau, Chandigarh	-	-	-	-	-	1
85.	Directorate General of Factory Advice and Labour Service Institute, Mumbai	-	-	-	1	1	-
	26. Ministry	of Law an	d Justi	<u>ce</u>			
86.	Legislative Department	-	1	-	2	1	2
87.	Department of Legal Affairs	-	-	2	2	2	4
88.	Department of Justice	-	-	-	1	-	1
89.	Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Kolkata	-	-	-	-	-	1
	27. Ministry of Micro, S	mall and	Mediur	n Enterpri	ses	I	
90.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	-	1	-	1	2	2
91.	Office of the Development Commissioner (MSME)	-	-	-	1	4	2
	28. <u>Min</u>	istry of M	ines	1	1		
92.	Ministry of Mines	-	1	-	1	1	3
	29.Ministry	of Minori	ty Affai	rs	1		
93 .	Ministry of Minority Affairs	-	1	-	1	1	3
94.	Commissioner for Linguistics Minorities, Allahabad	-	-	-	-	1	-
	30.Ministry of Nev	v and Ren	ewable	Energy			
95.	Ministry of New & Renewable Energy	-	-	1	1	2	2

	31. <u>Ministry</u>	of Pancha	yati Ra	<u></u>			
96 .	Ministry of Panchayati Raj	-	-	1	1	1	2
	32. Ministry of Personnel,	Public G	rievanc	es and Pens	sions	L	
97 .	Department of Personnel and Training	-	1	1	2	3	6
98 .	Department of Administrative Reforms and Public Grievances	-	-	1	1	1	1
99 .	Department of Pension and Pensioners Welfare	-	-	-	1	1	1
100.	Institute of Secretariat Training and Management	-	-	1	1	1	1
101	Staff Selection Commission, New Delhi	-	-	1	1	2	1
102 .	Staff Selection Commission, Chennai	-	-	-	-	-	1
103 .	Staff Selection Commission, Kolkata	-	-	-	-	-	1
104 .	Staff Selection Commission, Bangaluru	-	-	-	-	-	1
105 .	Staff Selection Commission, Mumbai	-	-	-	-	-	1
106 .	Staff Selection Commission, Allahabad	-	-	-	-	-	1
107 .	Staff Selection Commission, Guwahati	-	-	-	-	-	1
108 .	Central Bureau of Investigation (Head Quarter)New Delhi	-	-	1	2	4	17
109.	Central Bureau of Investigation, Anti Corruption Branch, Mumbai	-	-	-	-	-	2
110.	Central Bureau of Investigation, Lucknow	-	-	-	1	1	-
111.	Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Uttarakhand	-	-	-	1	1	1
	33.Ministry of Pet	roleum ar	l id Natu	ral Gas			
112.	Ministry of Petroleum and Natural Gas	-	1	1	2	2	2
	34. <u>Min</u>	istry of Po	<u>ower</u>				
113 .	Ministry of Power	-	1	-	2	2	3
114 .	Central Electricity Authority	-	-	1	1	2	2
	35.Ministry of Road	l Transpo	rt and I	<u> Highways</u>			
115 .	Ministry of Road Transport and Highways	-	-	2	2	2	3
116.	Department of Rural Development	-	1	-	3	4	3
117 .	Department of Land Resources	-	-	1	1	1	2
	37.Ministry of S	cience and	l l Techn	ology		<u> </u>	<u> </u>
118.	Department of Science and Technology	-	1	_ _	1	2	2
119.	Department of Scientific and Industrial Research	-	-	1	1	2	-
120.	Department of Biotechnology	-	-	1	1	1	2
	38. Ministry of Ports	s, Shippin	g and V	Vaterways	<u> </u>	<u> </u>	1
121.	Ministry of Shipping	-	1	-	1	2	1
122.	Directorate General of Shipping, Mumbai	-	1	-	2	1	4
	39. Ministry of Skill Deve	elopment a	nd Ent	repreneurs	ship	l	1
123.	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	-	-	-	1	-	1

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

124.	Directorate General of Training	_	I -	1	_	1	2
	40. Ministry of Social	LJustice a	 nd Emi	 			
125	Ministry of Social Justice and Empowerment	-	1	_	2	3	2
126	Department of Empowerment of Disabled persons	-	_	1	1	1	2
127	National Commission for Scheduled Castes	_	_	_	1	1	_
12,				_		_	
	41. Ministry of Statistics	and Prog	ram In	nlementat	ion		
128.	Ministry of Statistics and Program Implementation	-	_	2	3	6	5
129.	Central Statistical Organization Kolkata	_	_	_	1	1	_
130.	Computer Centre	_	_	_	1	1	_
130.		nistry of S	teel		1	1	
131.	Ministry of Steel	-	1	l -	1	2	2
131.	·	stry of Tex			1	2	L
132.	Ministry of Textiles	511 y U1 1 C2	1	<u> </u>	1	2	2
132.	Willistry of Textiles	-	1		1	2	2
133.	Office of the Development Commissioner for		_	_	1	1	7
133.	Handlooms	-	-		1	1	,
134.	Office of the Development Commissioner for	-	_	1	1	1	2
134.	Handicrafts	-	-	1	1	1	2
	44. <u>Minis</u>	stry of Tou	ırism		I		
135.	Ministry of Tourism	-	1	-	1	2	2
	45. Ministr	y of Triba	l Affair	<u>'s</u>	<u> </u>		
136.	Ministry of Tribal Affairs	-	1	-	1	1	2
137.	National Commission for Scheduled Tribes	-	-	-	1	1	2
	46. Ministry of Ho	using and	Urban	Affairs	I		
138.	Ministry of Urban Development	1	-	2	2	2	5
139.	Land and Development Organization	-	-	-	1	1	-
140.	Directorate General of CPWD, New Delhi	-	1	-	5	2	14
141.	CPWD, R. K. Puram, New Delhi	-	-	-	-	1	-
142.	CPWD, Training Institute, Ghaziabad, UP	-	-	-	1	1	-
143.	CPWD, Ahmadabad, Gujarat	-	-	-	-	1	-
144.	Chief Engineer (WZ-1), CPWD, Mumbai	-	-	-	-	1	-
145.	Executive Engineer, CPWD, Lucknow, UP	-	-	-	-	1	-
146.	Chief Engineer, CPWD, Kolkata	-	-	-	1	1	-
147.	Directorate of Estates	-	-	1	1	2	2
148.	Directorate of Printing	-	-	-	1	1	1
149.	National Building Organization	-	-	-	-	1	1
	47.Ministry of Wom	en and Cl	ild De	velopment	<u> </u>		1
150.	Ministry of Women and Child Development	-	1	-	2	2	2
	48.Ministry of Y	outh Affai	rs and	Sports	<u> </u>		
151.	Ministry of Youth Affairs and Sports	-	-	1	1	2	2
	-	ther Offic	<u>es</u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
152.	Cabinet Secretariat	-	 -	1	1	2	2

153.	Prime Minister Office	-	1	-	1	4	3
154.	Election Commission of India	-	-	1	2	4	5
155.	Union Public Service Commission	1	-	2	4	5	4
156.	NITI Ayog	-	1	-	2	4	2
157.	National Commission for Minorities	-	-	-	-	-	1
158.	Ministry of Parliamentary Affairs	-	-	-	-	-	1
159.	National Human Rights Commission	-	-	-	1	-	2
Total		18	36	84	205	317	352
	Grand Total						1012

5. In the said rules, for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE III [See rule 7(2)]

The method of recruitment, field of promotion, field of selection for deputation for appointment to various grades of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group "B" posts)

S. No.	Name of the post/ Grade	Method of recruitment	Whether selection or non- selection post	Field of Selection and the minimum qualifying Service for promotion	Field of selection for deputation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grade-I Director.	By promotion failing which by deputation.	Selection.	Promotion: Joint Director (OL) having five years' regular service in level- 12 (Rs.78800- 209200) in the pay matrix in parent cadre or department and having successfully completed mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by the Competent Authority.	Deputation: Officers of the Central Government (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having five years' of regular service in level-12 (Rs.78800 - 209200) in the pay matrix rendered appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V. and having ten years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and Translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous bodies or statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational

	•				
					institutions
					Or
					ten years' experience of teaching in
					Hindi and English or research in
					Hindi or English under Central
					Government or State Governments or
					Union Territories or autonomous
					bodies or statutory Organisations or
					Public Section Undertakings or
					Universities or recognised research or
					educational institutions.
2	Grade-II	By Promotion.	Selection.	Promotion:	Not applicable.
	Joint			Deputy Director	
	Director.			having Five	
				years regular	
				service in level-	
				11 (Rs.67700-	
				208700) in the	
				pay matrix in	
				parent cadre or	
				department and	
				having	
				successfully	
				completed	
				mandatory	
				institutional	
				Training of six weeks in all	
				aspects of Official	
				Language as	
				may be	
				prescribed by	
				the Competent	
				Authority.	
3	Grade-III	Promotion	Selection.	Promotion:	Deputation(Including short term
	Deputy	failing which by	Beleetion.	Assistant	contract):
	Director.	deputation		Director having	Officers of Central Government or
	Ziiottoi.	(Including		Five years	State Governments or Union
		short term		regular service	Territories or autonomous bodies or
		contract).		in level-10	statutory Organisations or Public
				(Rs.56100-	Sector Undertakings or Universities or
				177500) in the	recognised research or educational
				pay matrix in	institutions
				parent cadre or	(a)(i) holding analogous posts on
				department and	regular basis in the parent cadre or
				having	department; or
				successfully	(ii) having five years' service in level-
				l	
1				completed	10 (Rs.56100-177500) in the pay
				mandatory	matrix rendered after appointment
				mandatory institutional	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent
				mandatory institutional Training of six	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and
				mandatory institutional Training of six weeks in all	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V and having five years' experience of
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V and having five years' experience of using or applying terminology
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by the Competent	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V and having five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V and having five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and Translation work from English to
				mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by the Competent	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V and having five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and

4	Grade IV Asstt. Director.	75% by promotion 25% by direct recruitment.	Selection.	Promotion: Senior Translation Officer level-7 (Rs. 44900-142400) in pay matrix with three years'	Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous bodies or statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions or five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous bodies or statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. Not applicable.
				regular service in the grade in the parent cadre or department and having successfully completed mandatory institutional Training of six weeks in all aspects	
				Official Language as may be prescribed by the Competent Authority. Direct	
				Recruitment: (a) Recruitment to the post, candidates will be selected on the basis of Written Examination followed by	
				interview to be conducted by Union Public Service Commission as per the scheme of examination conducted by the	

				Commission in the manner as provided in Schedule-V of these rules and advertised by Union Public Service Commission from time to time. (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule V	
5	Grade-V Senior Trans- lation Officer.	By promotion.	Selection.	Schedule-V. Promotion: Junior Translation Officer in level- 6 (Rs.35400- 112400/-) in pay matrix with five years' regular service in the grade in the parent cadre or department and having successfully completed mandatory institutional Training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by the Competent Authority.	Not applicable.
6	Grade-VI Junior Trans- lation Officer.	Direct Recruitment Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

circum-stances	
for a duration of	
one year or more	
may be filled up	
on deputation	
basis from	
officers of	
Central	
Government;	
(a)(i) holding	
analogous posts	
on regular basis	
in the parent	
cadre or	
department; or	
(ii) having six	
years' service in	
the grade	
appointment	
thereto on	
regular basis in	
level-5 (Rs.	
29200-92300) or	
equivalent in the	
parent cadre or	
department;	
and	
(b) possessing	
the educational	
qualifications	
prescribed for	
direct	
recruitment as	
laid down in	
Schedule-VII.	

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion, to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment to these grades in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four or five years as the case may be.

Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

6. In the said rules, for Schedule V, the following schedule shall be substituted namely:

"SCHEDULE V

[See rule 7(4)]

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Grade-IV (Assistant Director) of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' Posts).

(a) Age-Limit: Not exceeding 35 Years (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).

Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

(b) Educational qualifications and experience:

(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

(ii) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

OR

Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous bodies or statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the EIGHTH SCHEDULE of the Constitution at 10^{th} level from a recognized Board.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relax able at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them".

7. In the said rules, for Schedule VI, the following schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE VI

The circumstance of consultation with Union Public Service Commission for appointment to various grades of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B')

S.No.	Name of the post Level in pay matrix		Circumstances of consultation with UPSC					
(1)	(2)	(3)	(4)					
1.	Grade I	Level-13	Consultation with Union Public Service					
	(Director).	(Rs.123100-215900).	Commission is not necessary.					
2.	Grade II	Level-12	Consultation with Union Public Service					
	(Joint Director)	(Rs 78800-209200).	Commission is not necessary.					
3.	Grade III	Level-11	Consultation of the Commission is necessary while					
	(Deputy Director)	(Rs 67700-208700)	filling up the post on Deputation (including Short					
			Term Contract) or direct recruitment basis.					
4.	Grade IV	Level-10	Consultation with Union Public Service					
	(Assistant Director)	(Rs 56100-177500)	Commission is necessary for filling up the post on					
	·		each occasion.					

5.	Grade V	Level-7	Consultation	with	Union	Public	Service	
	(Senior Translation (Rs 44900-142400)		Commission is not necessary.					
	Officer)							
6.	Grade VI	Level-6	Consultation	with	Union	Public	Service	
	(Junior Translation (Rs 35400-112400)		Commission is not necessary.					
	Officer)		·					

8. In the said rules, in SCHEDULE VII, for item (b) the following item shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE VII

[See rule 7(4)]

- "(b) Educational qualifications and experience:
- (A) Essential (I) Educational Qualifications:
- (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

OR

Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

OR

Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the

other as a compulsory or elective subject at degree level;

AND

- (ii) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including Government of India Undertaking.
- Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.
- Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them".

[F.No.1/1/2016-O.L.(Service)]

Dr. MEENAKSHI JOLLY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R.368(E) dated the 1st May, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 7th May, 2015.